

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)(जी-18II)आ.कृ./गुप-8/4147-90

दिनांक :- 08/02/2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक एफ-7(7)भर्ती/गोपनीय/2013-14/407 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 के प्रावधानानुसार राज्यपाल महोदय, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) के पद वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 तथा 09.12.2017 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के अन्तर्गत शेड्यूल - IV नियम 16 के मेट्रिक्स एल.-12 में कार्यग्रहण तिथि से अस्थाई रूप से 2 वर्ष के लिये नियत वेतन रूपये 31100/- प्रतिमाह पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाती है। उनकी नियुक्ति पुलिस विभाग से प्राप्त पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की जा रही है।

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	मेरिट क्रमांक	वर्ग	वर्ग जिसके विरुद्ध चयन हुआ	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान
1	श्री राजेन्द्र कुमार	श्री प्रेम कुमार	वीपीओ- दौलतपुरा, वाया- मानकसर, तह.- टिबी, जिला- हनुमानगढ़ पिन 335065	1	BC	Gen	08.04.1992	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या. उपनिदेशक कृषि (शस्य) एटीसी, श्रीकरणपुर (गंगानगर)
2	श्री हंसराम माली	श्री मोहन लाल माली	पुराने पावर हाउस के सामने, दीवान का बाग करौली राजस्थान 322241	2	BC	Gen	01.01.1987	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या. उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी तबीजी (अजमेर)
3	डॉ० मुकेश कुमार मान	श्री भंवर लाल मान	ग्राम - हनुतपुरा, पोस्ट- खोरा लाडखानी, वाया- गठवाडी, तह.-शाहपुरा, जिला जयपुर 303120	3	BC	Gen	10.09.1988	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) एटीसी शाखा, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
4	श्री दुर्गेश कुमार	श्री रामचन्द्र	ग्राम - किशनपुरा, पोस्ट-शेरगढ, तह.- अटरू, जिला बारां 325223	4	BC	Gen	07.06.1990	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या. उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी छत्रपुरा, बूंदी
5	श्री राम करण जाट	श्री माना राम जाट	गांव - चिरनोटिया, पोस्ट- मुरलीपुरा, वाया - जोबनेर, तह.-फुलेरा, जिला जयपुर 303328	5	BC	Gen	15.05.1985	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या. उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी रामपुरा, जोधपुर
6	श्री अनिल कुमार मावलिया	श्री महेन्द्र सिंह	गांव/पोस्ट-रघुनाथपुरा, तह.- उदयपुरवाटी, जिला - झुन्झुनू	6	BC	Gen	02.11.1991	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या. उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी हनुमानगढ़
7	श्री चैतराम सैनी	श्री कैलाश चन्द सैनी	गजी की ढाणी, ग्राम व पोस्ट- नारायणपुर, तह. - थानागाजी जिला - अलवर 301024	7	BC	OBC	16.06.1992	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) एग्री इकोनोमी सैल, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
8	श्री बलवान	श्री दलबीर सिंह	गांव/पास्ट - धणाऊ, तह.- राजगढ, जिला - चुरू 331023	9	SC	SC	27.03.1986	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या. उप निदेशक कृषि (शस्य), एटीसी सुमेरपुर (पाली)
9	कु० प्रेम कुमारी कडवासरा	श्री बोदु राम कडवासरा	ग्राम - सन्थलिया, पोस्ट - बावडी, वाया - रींगस, तह.- खण्डेला, जिला- सीकर 332411	10	BC/WE	Gen	01.08.1991	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या. उपनिदेशक कृषि (शस्य) एटीसी,

10	श्रीमती वर्षा गुप्ता	श्री बालगोविन्द गुप्ता	सी-825, श्रीनाथपुरम कोटा	11	GE/WE	Gen	09.11.1988	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) कार्या0 परियोजना निदेशक कृषि (शष्य),सीएडी, कोटा
11	श्री अरविन्द कुमार मीणा	श्री कचरू लाल मीणा	मु0 - माण्डलसेर, पोस्ट - डुगलावाणी तह.- पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ	12	ST	ST	17.07.1990	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य), कार्या. उप निदेशक कृषि (शष्य), लूणकरणसर (बीकानेर)

उक्त नियुक्तियाँ निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन होगी:-

1. उक्त चयनित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया/चयन एवं नियुक्ति सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) के संबंध में माननीय विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं के अध्याधीन रहेगी।
2. नवनियुक्ति अधिकारियों के लिये अंशदायी पेंशन योजना वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 29.01.2004 एवं 13.03.2006 के अनुसार लागू होगी।
3. पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 की अनुसूची IV के अनुसरण में फिक्स वेतन एवं वर्तमान वेतन श्रृंखला अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिये विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. चिकित्सा परिचर्या व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/नियमों / अधिसूचनाओं के अन्तर्गत देय होंगे।
5. कार्यग्रहण करने से पूर्व कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संतान संबंधी प्रमाण पत्र/ घोषणा प्रस्तुत करने होंगे।
6. परिविक्षा अवधि में वित्त विभाग की अधिसूचना/ आदेश दिनांक 13.06.2006 में अंकित शर्तों/ नियमों के अनुसार राज्य सेवा करनी होगी।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों को नवनियुक्त स्थान पर उपस्थिति देने के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उक्त कार्मिकों की परिविक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
9. वे चयनित अभ्यर्थी जो वर्तमान में राज्य सेवा में कार्यरत हैं, वे विधिवत रूप से अपने विभागाध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
10. नवपदस्थापित अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से अपनी उपस्थिति 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अपने पदस्थापन कार्यालय पर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(विकास सीतारामजी भाले)

आयुक्त, कृषि

दिनांक : 08/02/2018

क्रमांक : प.1(1)(जी-18II)आ.कृ./गुप-8/4147-50
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शासन सचिवालय, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ-7(7)भर्ती/गोपनीय/2013-14/ 407 दिनांक 21.12.2017 के संदर्भ में।
5. शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
7. एसीपी, कम्प्यूटर शाखा, मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित कार्यालय
9. संबंधित श्री
10. निजी/ आरक्षी पत्रावली ।

(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)